सं०वि०

0 4 JUN 2012

पत्र सं0-एम-4-03/2012..........वि0(2),

# बिहार सरकार

## वित्त विभाग

पटना, दिनांक......

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी ।

विषय :- राज्य सरकार के अधीन नियमित वेतनमान में कार्यरत सरकारी सेवकों को बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से गृह निर्माण ऋण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महाशय,

राज्य सरकार के सेवी वर्ग को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं0 420 दिनांक 21.01.2000 तथा संकल्प सं0 809 दिनांक 22.05.2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार दी जाती है । वर्तमान में सरकार के कर्मियों को 7.50 लाख रूपये की सीमा तक अथवा अपने वेतन का 60 गुणा, दोनों में जो कम हो को राज्य सरकार से ऋण प्राप्त होता है । यह राशि आज की परिस्थिति में अत्यंत कम है । साथ ही चालू व्यवस्था के तहत अत्यंत सीमित संख्या में सरकारी कर्मियों को वित्त विभाग के द्वारा केन्द्रीयकृत तरीके से ऋण मिल पाता है ।

2. राज्य सरकार के सेवी वर्ग को पूर्व में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से गृह निर्माण अग्रिम उपलब्ध कराने हेतु समझौता किया गया था तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि कोई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से इस तरह का प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उनसे एकरारनामा किया जायेगा । दिनांक 31 मई 2012 को बैंक ऑफ इन्डिया से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त समझौता किया गया है जिसके मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैं :-

(i) बैंक के द्वारा जिस न्यूनतम दर पर किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को ऋण दिया जा सकता है वह बैंक का base rate है जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाता है । राज्य सरकार के सेवाकर्मी को आय के आधार पर 30 लाख रूपये तक के गृह निर्माण ऋण का भुगतान base rate पर किया जाएगा। यदि base rate में परिवर्तन होगा तो तदनुसार interest rate भी घट-बढ सकता है । इस प्रकार यह floating interest at base rate होगा । 30 लाख से उपर के ऋणों पर बैंक द्वारा साधारण तौर पर लिये जाने वाले सूद की दर लागू होगी ।

(ii) प्रत्येक ऐसा कर्मी जो ऋण लेगा अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से जिला के मुख्यालय में अवस्थित शाखा बैंक में आवेदन देगा और उसे उसकी भुगतान क्षमता एवं बची हुई सेवा के आधार पर बैंक 15 दिनों में ऋण देगा ।

(iii) राज्य सरकार की भूमिका मात्र एक guarantor की होगी जिसमें सेवा कर्मी का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बैंक की इस शर्त को सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक माह के वेतन

से बैंक द्वारा निर्धारित EMI को बैंक के loan account में जमा हो । इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मी/पदाधिकारी को जिस बैंक से वेतन भुगतान किया जायेंगा उस बैंक के माध्यम से ऋण देनेवाले बैंक में जमा की जाएगी । सरकारी सेवक के स्थानांतरण की स्थिति में उसको निर्गत होने वाले Last Pay Certificate में अनिवार्य तौर पर बकाये ऋण का उल्लेख किया जाएगा ताकि स्थानांतरित पद पर योगदान के बाद संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भी नियमानुसार EMI की कटौती बैंक में भुगतान कराया जाना सुनिश्चित हो ।

(iv) यदि ऋण को चुकता करने के पूर्व सेवाकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो एकरारनामा के अनुसार Leave encashment की राशि तथा भविष्य निधि/Gratuity की राशि से एकमुश्त उतनी राशि बैंक को स्थानांतरित कर दी जाएगी ।

(v) यदि फिर भी कोई राशि बच गई तो बैंक बनने वाले घर/फ्लैट के equitable mortgage से राशि की वसूली करने में सक्षम होगा ।

(vi) यदि कर्मी चाहे तो कंडिका (iv) एवं (v) के विकल्प के रूप में बैंक के साथ मृत्यु की आकस्मिकता में भुगतान की जगह एकमुश्त insurance राशि का भुगतान कर सकता है ।

(vii) राज्य कर्मी को कहीं भी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जिसमें CBS हो अपना वेतन खाता रखने की सुविधा होगी । परन्तु यदि कर्मी बैंक ऑफ इंडिया में अपन वेतन खाता रखता है तो बैंक के द्वारा इस ऋण के लिए साधारण तौर पर लिए जाने वाले प्रोसेसिंग फीस को माफ कर दिया जाएगा ।

(viii) बैंक के द्वारा दिए जानेवाले ऋण के एकरारनामा का एक standard format होगा और ऋण के लिए आवेदन करने के लिए भी standard format and document होंगे ताकि सेवाकर्मी को बैंक में बार-बार परेशान न होना पड़े ।

(ix) राज्य सरकार के सेवी वर्ग इस योजना के तहत जमीन क्रय कर मकान बनाने/मकान क्रय किये जाने/फ्लैट क्रय करने/मकान की मरम्मती/मकान के वृहद्दीकरण हेतु ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

3. यदि केन्द्र सरकार गृह निर्माण ऋण के लिए interest subvention देती है तो वह कर्मी को सीधा बैंक के माध्यम से देय होगा ।

कंडिका 2(iii) का अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

4. अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी यदि तद्नुसार प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उनसे एकरारनामा करके इसकी सूचना दी जाएगी और सरकारी कर्मी उनसे भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।

अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी अपने अधीनस्थ सभी सरकारी सेवकों तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दी जाय ।

विश्वासभाजन,

11/6/11

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव

11/6/12

Pramod/sec-4/7